न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13,
वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0–425/1990+425(A)/1990

राघोपुर थाना काण्ड सं0–83 / 1988

	01. कैलास राय, पिता–स्व0 सीताराम राय, **02. रामस्वरूप राय, पिता–स्व0 सीताराम राय** **दोनों साकिन–दीवानटोक, थाना–गंगाब्रिज, जिला–वैशाली।**	
31/03/2023	आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 01. **कैलास राय** और 02. **रामस्वरूप राय** की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत का आवेदन दाखिल किया गया तथा प्रचालित किया गया। जिसकी जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गयी है। आवेदक अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता श्री रितेश कुमार सिंह के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदकगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता अपने जमानत आवेदन में निवेदन करते हैं कि उपरोक्त संदर्भित वाद में आवेदकगण नामजद अभियुक्त है। दिनांक 18.05.2022 को संदर्भित वाद जजमेंट पर था परन्तु आवेदकगण किसी कारणवश न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये जिस कारण इनका जमानत बंध पत्र खंडित किया गया था। आवेदकगण ने जानबुझकर कोई अपराध नहीं किया और दोनों आवेदकगण की उम्र 89 वर्ष एवं 70 वर्ष है। आवेदकगण वाद के निष्पादन तक सदैव उपस्थित रहेगा एवं इनके द्वारा साक्ष्य बिगाड़ने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि पर उचित प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान की जाय। अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण पूर्व से जमानत पर थे और इनके विरूद्ध धारा–302 / 149 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया। यह वाद दिनांक 18.05.2022 को निर्णय हेतु सुनिश्चित किया गया था लेकिन अभियुक्तों के द्वारा पैरवी नहीं किये जाने के कारण इनका जमानत बंध–पत्र दिनांक 18.05.2022 को खंडित किया गया और इनके विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र एवं 82 द. प्र.सं. निर्गत किया गया। आवेदकगण आज स्वतः न्यायालय में आत्मसमर्पण किये है और इनका जमानत के दुरूपयोग का यह प्रथम गलती है तथा भविष्य में प्रत्येक तिथि पर उचित पैरवी करने का वादा भी करते है। आवेदकगण क्रमशः 01. कैलास राय की उम्र 89 वर्ष और 02. रामस्वरूप राय की उम्र 70 वर्ष है। क्रमशः	

Web Copy not Official

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–13,
वैशाली, हाजीपुर।
सत्र वाद सं0–425/1990+425(A)/1990

राघोपुर थाना काण्ड सं0–83 / 1988

लगाातार 31.03.2023	अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण के उम्र को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त 01. **कैलास राय** और 02. **रामस्वरूप राय** को 10,000/– रूपये के समान राशि के दो प्रतिभुओं के जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है इस शर्त के साथ दिया जाता है कि आवेदकगण वाद के निष्पादन तक सदैव उपस्थित रहेंगा। **लेखापित,** **अपर सत्र न्यायाधीश–13,** **वैशाली, हाजीपुर।**	
पश्चात् 31.03.2023	उपरोक्त आदेशानुसार उपस्थित अभियुक्तगण की ओर से बंध पत्र दाखिल किया गया है, जिसे जांचोपरांत सही पाकर **स्वीकृत** किया गया तथा अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। **लेखापित,** **अपर सत्र न्यायाधीश–13,** **वैशाली, हाजीपुर।**	

Web Copy Not Official